**Kharif products in the wake of flood and drought condition**

3360. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the prospect of Kharif Crop for the current year in view of recent flood havoc in same states specially Punjab, Haryana etc.;

(b) whether it is a fact that a large part of the country is passing through draught-like condition;

(c) if so, what steps Government would take to ensure Kharif production in these states; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) It is too early to indicate the Kharif crop production prospects for 1993-94. However, according to present indications available, overall prospects of Kharif crops are not expected to get affected much as the crop loss due to recent floods in Punjab, Haryana etc. is likely to get compensated by increase in other parts of the country, which had better rainfall this monsoon season so far.

(b) No, Sir. Only parts of a few States are having deficient rains.

(c) and (d) The States have been provided a model contingent plan and have been requested to prepare their own contingent plans on this basis and in consultation with their respective state Agricultural Universities.

**खाद्यान्नों की खरीद**

3361. **डा० नौनिहाल सिंह** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने चालू वर्ष में खाद्यान्नों की खरीद का क्या लक्ष्य रखा है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य रखे गए थे और खरीद का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गोदामों में और ढुलाई के दौरान खाद्यान्नों की कितनी मात्रा क्षतिग्रस्त हुई और गलने-सड़ने और चूहों के कारण कितने खाद्यान्न का नुकसान हुआ और इस नुकसान से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं; और

(ग) निगम द्वारा उचित दर दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को घटिया, गला-सड़ा और कूड़ा-करकट युक्त गेहूं सप्लाई किए जाने के क्या कारण हैं और जनता को अच्छी किस्म का गेहूं सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

**खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय)** : (क) चूंकि मूल्य समर्थन प्रणाली के अधीन केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं, धान और मोटे अनाजों की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और मिल मालिकों व्यापारियों से लेवी चावल की वसूली उनके द्वारा खरीदी गई धान की मात्रा पर निर्भर करती है इसलिए गेहूं, धान और मोटे अनाजों की वसूली करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

**विवरण–1** संलग्न है **(नीचे देखिए)** जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूल किए गए खाद्यान्नों (गेहूं, चावल और मोटे अनाजों) की मात्रा दी गई है।

(ख) **विवरण–2** संलग्न है **(नीचे देखिए)** जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्ग में गुम और क्षतिग्रस्त हो गए खाद्यान्नों की मात्रा दी गई है।

जहां तक खाद्यान्नों की इस प्रकार की हानियों को रोकने का संबंध है, खाद्यान्नों के स्टाक को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़ने नहीं दिया जाता है क्योंकि

भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों का वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर निर्माण किया जाता है और वे चूहा प्रूफ होते हैं। तथापि, कुछेक किराये/कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के गोदामों में मूषक नियंत्रण उपाय किए जाते हैं ताकि चूहों और खेतों के अन्य पशुओं द्वारा पहुंचाई जा रही हानियों को रोका जा सके और उन्हें कम से कम होने दिया जा सके। इस प्रकार की हानियों को रोकने और कम से कम होने देने के लिए विभिन्न अन्य आवर्ती कदम भी उठाए जाते है अर्थात् खाद्यान्नों के स्टाक का लदान करने के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई हेतु उपयुक्त ठोस वैगनों का चुनाव किया जाता है, मानसून के मौसम के दौरान खुले वैगनों में खाद्यान्नों का संचलन नहीं किया जाता है, मार्ग में और लदान और उतरान के समय खाद्यान्नों की मात्रा और गुणवत्ता का अचानक निरीक्षण किया जाता है, खाद्यान्नों का परिरक्षण करने के लिए आवधिक रोगहर और उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं, खाद्यान्नों की बोरियों की मशीनों से दोहरी सिलाई करने को प्रोत्साहित किया जाता है, आदि, आदि।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर को दुकानों के जरिए वितरित करने के लिए राज्य सरकारों और उनकी प्राधिकृत एजेंसियों को केवल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप ही गेहूं का स्टाक जारी किया जाता है।

खाद्यान्नों के स्टाक से ट्रकवार मुहरबंद नमूने (पोलीथीन की थैलियों में रखे गए) लिए जाते हैं और उन्हें राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को दिए जाते हैं ताकि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीने उपभोक्ताओं को खाद्यानों की बिक्री/जारी करने के स्थान पर इनका प्रदर्शन करें। राज्य सरकारों के प्रशासनों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अचानक निरीक्षण किए जाते हैं ताकि स्टाक के निर्गम की विभिन्न अवस्थाओं में स्टाक की गुणवत्ता की जांच की जा सके और राज्य सरकारें तथा उनकी प्राधिकृत एजेंसियां स्टाक की सुपुर्दगी लेने से पूर्व उसकी गुणवत्ता की जांच करती हैं और वे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप खाद्यान्नों के स्टाक की प्राप्ति की पावती भी देती है।

**विवरण–1**

**पिछले तीन विपणन मौसमों के दौरान केन्द्रीय पूल के लिये वसूल किये गये खाद्यान्नों (गेहूं, चावल और मोटे अनाजों) की मात्रा**

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

| विवरण वर्ष | गेहूं | चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) | मोटे अनाज |
|---|---|---|---|
| 1990–91(अ) | 110.65 | 117.50 | 2.03 |
| 1991–92(अ) | 77.52 | 92.36 | Neg, नग० |
| 1992–93(अ) | 63.80 | 117.84* | 3.98* |
| 1993–94(अ) | 128.35* | Yet to start अभी शुरू की जानी है | 0.01* |

*13–8–1993 की स्थिति के अनुसार

(अ) अनन्तिम

नग०–0.5 मीटरी टन

विवरण–2

पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्ग में गुम और क्षतिग्रस्त हुये खाद्यान्नों की मात्रा

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

| वर्ष | मार्ग में गुम हुये खाद्यान्नों की मात्रा | वर्ष | खाद्यान्नों की वह मात्रा जिसे क्षतिग्रस्त स्टाक माना गया: ठोस से क्षति-ग्रस्त अनाज के रूप में अन्तरित खाद्यान्नों की मात्रा | भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का औसत स्टाक | भण्डारण में औसत स्टाक के प्रति क्षति-ग्रस्त अनाज की प्रति-शतता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989–90 | 2.38 | 1990–91 | 0.21 | 132.31 | 0.17 |
| 1990–91 | 3.44 | 1991–92 | 0.19 | 122.96 | 0.15 |
| 1991–92 | 4.12 | 1992–93 | 0.13* | 97.38 | 0.13 |

मार्ग में गुम हो गई मात्रा का हिसाब लगाने के लिये 1992–93 के लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

*अनन्तिम और लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

**Storage Capacity of Wheat in Punjab**

3362. SHRI SHIVAJIRAO GIRDHAR PATIL: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the permanent storage capacity for wheat to be produced by Government in Punjab for this year and what was the same last year;

(b) what is the quantity of wheat procured this year by Government;

(c) whether the quantity procured exceeded the storage capacity; and

(d) if so, what alternative arrangements were taken by Government to store the same or for the movement of grain from Punjab and North Zones to other Zones?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) There is no storage capacity exclusively earmarked for wheat. However, the total storage capacity with Food Corporation of India for storage of foodgrains in Punjab as n 1-7-1912 and 1-7-1993 was as follows:-

| As on | Capacity (In lakh tonnes) |
|---|---|
| 1.7.1992 . . . | 48.91 |
| 1.7.1993 . . . | 53.84 |